

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-3/97/2018/10-11/12/2083

भोपाल, दिनांक 06/07/2020

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,  
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:-जिला सागर के अंतर्गत बंडा वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 505.5 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-04/2020-FC दि. 03.04.2020

--0--

विषयांतर्गत प्रकरण मे भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से 04 बिन्दुओं की निम्न जानकारी चाही गयी है। आवेदक संस्थान से जानकारी प्राप्त की जाकर निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :-

क्र.	चाही गयी जानकारी	प्रेषित जानकारी
1	The user agency has not submitted undertakings to bear the cost of CA & NPV	आवेदक संस्थान द्वारा CA & NPV की राशि के भुगतान के वचन पत्र प्रस्तुत किये है। जो कि संलग्न है।
2	Total Proposed CA area for plantation is 505.05 ha. as per DSS cell of this Ministry, the calculated CA area is found 489.00 ha. there for, there is a discrepancy of 16.5 ha. Non forest area. the state government may submitted/uploaded. kml/ shape file of the total proposed CA Non forest area.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव के भाग-1 मे दी जाने वाली गैर वनभूमि की संशोधित kml file अपलोड कर दी गयी है। यह 11 kml file को 05 टुकड़ों मे अपलोड किया गया है।
3	The copy of the approved R&R plan has not been given.	आवेदक संस्थान द्वारा R&R plan की प्रति प्रस्तुत की है। जो कि संलग्न है।
4	The site inspection report of both DFO and CCF mentions that there is no displacement which obviates requirement of R&R plan whereas forwarding letter of the state government clearly indicates that 28 villages are getting affected. this glaring discrepancy needs clarification from the appropriate authority.	वनमण्डलाधिकारी / मुख्य वन संरक्षक द्वारा जो स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। वह केवल वनक्षेत्र से संबंधित है। प्रस्ताव मे वनक्षेत्र मे स्थित किसी प्रकार के ग्राम विस्थापित नही हो रहे है। प्रस्ताव मे जो ग्राम विस्थापित हो रहे है। वह पूर्णतः राजस्व भूमि पर है।

अतः अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

  
(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

-2-

पृ. क्रमांक/एफ-3/97/2018/10-11/12/2084  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 06/07/2020

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
  2. आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, कोलार तिराहे के पास, एम.ए.सी.टी. रोड, भोपाल मध्यप्रदेश।
  3. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
  4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल उत्तर सागर, मध्यप्रदेश।
  5. परियोजना प्रबंधक, बीना (पी.एम.यू.) जल संसाधन विभाग सागर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

*06/07/2020*  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल